न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 147/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांक 27.02.2023
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

अंजन कुमार हलधर आत्मज श्री अमरीशचन्द्र जी हलधर निवासी नाटई तहसील शाहबाद जिला बारां राज० हाल निवास 433 गणेश नगर, रंगबाड़ी, आनन्दपुर उर्फ फूटा तालाब कोटा तहसील जिला कोटा राज०

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. रंजन हलधर आत्मज श्री अमरीश हलधर, निवासी ग्राम नाटई तहसील शाहबाद जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद जिला बारा राज०

.....रेस्पोण्डेन्टस

उपस्थित : श्री मुकुट बिहारी पारेता, अभिभाषक – अपीलांट
श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 28.03.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार, तहसील शाहबाद (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 22/22 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम द्वारा प्रार्थी रंजन हलधर में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र.1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहबाद के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पिता अम्बरीश हलधर पुत्र चांद मोहन जाति नमोशुद्र बंगाली निवासी नाटई तहसील शाहबाद के द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 क्र.1 के पक्ष में दिनांक 31.12.2009 को सौ रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी शुदा वसीयत करवाई गई थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अतः वसीयतपत्र के आधार पर नामांतरकरण खोला जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 क्र.1 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वसीयत दिनांक 03.12.2009 के आधार पर ग्राम नाटई–2 के खसरा सं0 55 रकबा 10.00 बीघा पर

28/3/2025

वसीयतकर्ता मृतक अम्बरीश हलधर पुत्र चांदमोहन के स्थान पर वसीयतगृहिता प्रार्थी/रेस्पो0 क्र. 1 रंजन हलधर पुत्र अम्बरीश हलधर के नाम दर्ज किये जाने का निर्णय दिनांक 01.12.2022 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील शाहबाद द्वारा प्रकरण संख्या 22/22 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम द्वारा प्रार्थी रंजन हलधर में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश की जाकर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को तलब किये बिना, एवं सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय दिनांक 01.12.2022 पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का अजरोड़ा के द्वारा दिनांक 08.04.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई ध्यान नही दिया, क्योंकि उक्त रिपोर्ट मे पटवारी हल्का द्वारा तत्कालीन खातेदार अमरीश हलधर के एक पुत्री आभा के फोत होने के पश्चात उसके विधिक वारिस उधमसिंह नगर नैनीताल उत्तराखण्ड में निवास करते है तथा पटवारी द्वारा उक्त वारिसान की जानकारी प्रशासन से मंगवाये जाने की राय आलेखित की गई थी, उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज कर के उक्त निर्णय पारित कर दिया है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी मे अपीलाण्ट का हित एवं हिस्सा होने से तथाकथित वसीयत करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, वैसे भी उक्त तथाकथित वसीयत फर्जी प्रतीत होती है, क्योंकि उक्त वसीयत के हस्ताक्षर वसीयतकर्ता के पूर्व हस्ताक्षरों से भिन्न है तथा बनावटी प्रतीत होते है। उक्त तथाकथित वसीयत के बारे मे अपीलांट को उसके पिता अमरीशचन्द्र द्वारा कोटा निवास करने आने पर उक्त वसीयत की कोई जानकारी नही दी गई है तथा हमेशा यह कथन करते थे कि उक्त भूमि मे अपीलाण्ट एवं रेस्पों० क्रम 1 का बराबर का हक एवं हिस्सा है। तहसीलदार शाहबाद को उक्त विवादित आराजी के बाबत वसीयत के आधार पर नाम दर्ज करने का अधिकार एवं वसीयत की जांच करने का अधिकार नही है। उक्त वसीयत को सिविल न्यायालय से प्रमाणित करवाये बिना उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एवं दिया गया निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.12.2022 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रश्नगत आराजी पुनर्वास योजना के अन्तर्गत मिली थी। उक्त आराजी पैतृक संपत्ति की परिभाषा में आती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया,

प्रकरण में दिनांक 15.05.2022 के पश्चात् दिनांक 01.12.2022 को वास्ते आदेश तारीख नियत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का अजरोड़ा के द्वारा दिनांक 08.04.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई ध्यान नही दिया, क्योंकि उक्त रिपोर्ट मे पटवारी हल्का द्वारा तत्कालीन खातेदार अमरीश हलधर के एक पुत्री आभा के फोत होने के पश्चात उसके विधिक वारिस उधमसिंह नगर नैनीताल उत्तराखण्ड में निवास करते है तथा पटवारी द्वारा उक्त वारिसान की जानकारी प्रशासन से मंगवाये जाने की राय आलेखित की गई थी, उसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट को नजरअंदाज कर के उक्त निर्णय पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 क्र.1 के द्वारा फोटो प्रति पेश की गई, उक्त वसीयत अनरजिस्टर्ड है। तहसीलदार शाहबाद को उक्त विवादित आराजी के बाबत वसीयत के आधार पर नाम दर्ज करने का अधिकार एवं वसीयत की जांच करने का अधिकार नही है। उक्त वसीयत को सिविल न्यायालय से प्रमाणित करवाये बिना उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एवं दिया गया निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.12.2022 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2023(1) Page No. 93** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.04.2022 को प्रार्थना–पत्र पेश कर गलत वसीयत होने वर्णित किया गया है। जबकि यदि अपीलांट को आपत्ति है तो वसीयत को सक्षम न्यायालय में ही चैलेंज किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है। प्रकरण में तहसीलदार, शाहबाद द्वारा प्रश्नगत आराजी की जांच की जाकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए निर्णय दिनांक 01.12.2022 पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होने से अपील अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2013(2) Page No. 887, RRT 2006-07 (Supp.) Page No. 59, RRT2006-07 Page No. 466 RRT 2013(2) Page No. 841** पेश किये।

6. अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई। सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर निर्णय पारित किया गया। इसके विपरित रेस्पो0 क्र.1 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर कथन किया कि रेस्पो क्र.2 के द्वारा दिनांक 12.04.2022 को इन्तकाल तस्दीक करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करने पर दिनांक 20.04.2022 को नोटिस जारी किये गये थे। अपीलांट दिनांक 26.04.2022 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सुनवाई हेतु दिनांक 28.04.2022 को अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही की गई। इस प्रकार अपीलांट को नोटिस जारी नहीं किये जाने एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किये जाने का कथन असत्य है। दिनांक 10.05.2022 को अपीलांट के

अनुपस्थित रहने से बयान लिये गये और दिनांक 01.12.2022 को निर्णय पारित किया गया। अपीलांट को शुरू से ही जानकारी थी। अतः प्रार्थना–पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट में गलत तथ्यों का वर्णत किये जाने से प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थना–धारा 5 मियाद अधिनियम पर उभयपक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। प्रकरण में इस स्टेज पर न्यायहित में धारा–5 प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित प्रकट होता है।

7. पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट की पत्रावली में तामील होने के साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अपीलांट का दिनांक 26.04.2022 को प्रार्थना–पत्र स्वतंत्र/प्रथक प्रार्थना–पत्र है। न्यायालय तहसीलदार, शाहबाद के निर्णय दिनांक 01.12.2022 में प्रथम पृष्ठ की अंतिम पंक्तियों में अंकित किया है कि "इसी प्रकार मृतक के पुत्र, बहिन द्वारा दिये गये अपने बयानों में उक्त वसीयत के संबंध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई है।" यह पंक्ति असत्य प्रकट होती है, क्योंकि पत्रावली में अपीलांट एवं उसकी बहिन के वारिसान के कोई बयान नहीं है। पटवारी रिपोर्ट में बहिन के वारिसान की जानकारी करना प्रस्तावित किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को भी नजरअंदाज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में दिनांक 10.05.2022 को दिनांक 01.12.2022 लगभग 7 माह पश्चात् में आदेश में पत्रावली नियत करना भी विधिविरूद्ध प्रकट होता है। अतः उक्तानुसार अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं मिलने एवं मृतक की पुत्री के वारिसान की सुनवाई नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविरूद्ध व एकपक्षीय होने से हम न्यायोचित नहीं समझते हैं। लिहाजा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील शाहबाद द्वारा प्रकरण संख्या 22/22 प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) भू–राजस्व अधिनियम द्वारा प्रार्थी रंजन हलधर में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2022 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, परीक्षण/जांच कर प्रकरण मे पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सुनाया गया।

28/3/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा